लेखे एक दृष्टि में

2013 - 2014

मध्यप्रदेश सरकार

आमुख

यह हमारे वार्षिक प्रकाशन **''लेखे एक दृष्टि में''** का सोलहवाँ अंक है।

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकतानुसार नियंत्रक महालेखापरीक्षक के निर्देशन के अधीन राज्य शासन के वार्षिक लेखे राज्य के विधानमंडल में रखे जाने के लिए तैयार कर जांच किए जाते हैं। वार्षिक लेखाओं में (अ) वित्त लेखे एवं (ब) विनियोग लेखे समाहित होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अंतर्गत लेखे के संक्षिप्त विवरण होते हैं। विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरूद्ध मांगवार व्यय तथा प्रदत्त निधि एवं वास्तविक व्यय के मध्य अंतरों के लिए प्रस्तावित स्पष्टीकरणों को इंगित करता है। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है।

''लेखे एक दृष्टि में'' वित्त एवं विनियोग लेखे में प्रतिबिम्बित शासकीय क्रियाकलापों का एक विस्तृत विहंगावलोकन है। इसमें सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों तथा ग्राफ्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह आंकड़े मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे से लिए गए हैं। अंतर की स्थिति में वित्त एवं विनियोग लेखे में दर्शाए गए आंकड़ों को सही समझा जावे।

इस प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने के लिये सुझाव आमंत्रित है।

(रुद्रा साहा)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
मध्यप्रदेश

स्थान : ग्वालियर
दिनांक : 18 दिसम्बर 2014

हमारी दृष्टि, लक्ष्य एवं आन्तरिक मूल्य

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक संस्था का दृष्टिकोण हमारी भावी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

हम वैश्विक नेतृत्व के लिये प्रयासरत हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के लेखांकन एवं लेखापरीक्षा की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम कार्यपद्धति के पहलकारों में रहे हैं और शासन तथा सार्वजनिक वित्त की स्वतंत्र, विश्वसनीय, सन्तुलित एवं सामयिक सूचना देने के लिये पहचाने जाते हैं।

हमारा लक्ष्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रतिपादित एवं हम आज जो कर रहे हैं, उसे उल्लिखित करता है।

भारत के संविधान से अधिदिष्ट, हम उच्चगुणवत्तापूर्ण लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के द्वारा उत्तरदायी, पारदर्शी एवं सुशासन को प्रोत्साहित करते हैं एवं अपने हितधारकों–विधायिका, कार्यपालिका एवं आमजन को स्वतंत्रतापूर्वक आश्वासन देते हैं कि, लोक निधियों का पूर्ण दक्षता एवं इच्छित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जा रहा है।

हम जो भी करते हैं, उसके लिये हमारे बुनियादी मूल्य मार्गदर्शक दीपस्तम्भ की तरह है जो हमारे कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिये मानक तय करते हैं :–

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपरकता
- सत्यनिष्ठा
- विश्वसनीयता
- व्यवसायिक उत्कृष्टता
- पारदर्शिता
- सकारात्मक पहल

विषय सूची

अध्याय 1	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	प्रस्तावना	1
1.2	लेखे का स्वरूप	1
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	2
1.4	निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग	4
1.5	लेखे की प्रमुखतायें	7
1.6	घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं ?	9
अध्याय 2	**प्राप्तियां**	
2.1	प्रस्तावना	12
2.2	राजस्व प्राप्तियां	12
2.3	प्राप्तियों का रूझान	13
2.4	राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	15
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	16
2.6	विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति	17
2.7	सहायक अनुदान	17
2.8	लोक ऋण	18
अध्याय 3	**व्यय**	
3.1	प्रस्तावना	19
3.2	राजस्व व्यय	19
3.3	पूंजीगत व्यय	21

अध्याय 4	**आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय**	
4.1	व्यय का वितरण	24
4.2	आयोजना व्यय	24
4.3	आयोजनेत्तर व्यय	25
4.4	प्रतिबद्ध व्यय	26
अध्याय 5	**विनियोग लेखे**	
5.1	विनियोग लेखे का सार	28
5.2	विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	28
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	29
5.4	व्यय का अतिरेक	31
अध्याय 6	**परिसम्पत्तियां एवं दायित्व**	
6.1	परिसम्पत्तियां	33
6.2	ऋण तथा दायित्व	33
6.3	प्रत्याभूतियां	35
अध्याय 7	**अन्य मदें**	
7.1	राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	36
7.2	स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता	36
7.3	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश	37
7.4	लेखों का पुनर्मिलान	37
7.5	कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	38
7.6	अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की स्थिति	39
7.7	राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र	39

अध्याय 1

विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के लेखाओं के संकलन का कार्य प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। यह संकलन जिला कोषालयों, लोक निर्माण एवं वन संभागों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होता है। ऐसे संकलन के पश्चात प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, प्रतिवर्ष वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करता है, जिन्हें महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रमाणीकरण के पश्चात राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.2 लेखे का स्वरूप

1.2.1 शासकीय लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं :

भाग 1 **समेकित निधि**	राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं की प्राप्तियां एवं व्यय, लोक ऋण और उधार एवं अग्रिम, अन्तर्राज्यीय परिशोधन, आकस्मिकता निधि को विनियोग।
भाग 2 **आकस्मिकता निधि**	बजट में उपबन्धित न किये गये अनवेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु। इस निधि से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति बाद में समेकित निधि से की जाती है।
भाग 3 **लोक लेखा**	इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण और उचंत से संबंधित लेन–देन शामिल हैं। ऋण एवं जमा शासन के पुनर्भुगतान दायित्व को निरूपित करते हैं। पेशगियां सरकार की प्राप्ति योग्य राशियां हैं। प्रेषण एवं उचंत लेन–देन समायोजनीय प्रविष्टियां हैं जिन्हें अन्ततः लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज कर शोधित किया जाता है।

1.2.2 लेखों का संकलन

लेखा संकलन का रेखाचित्र

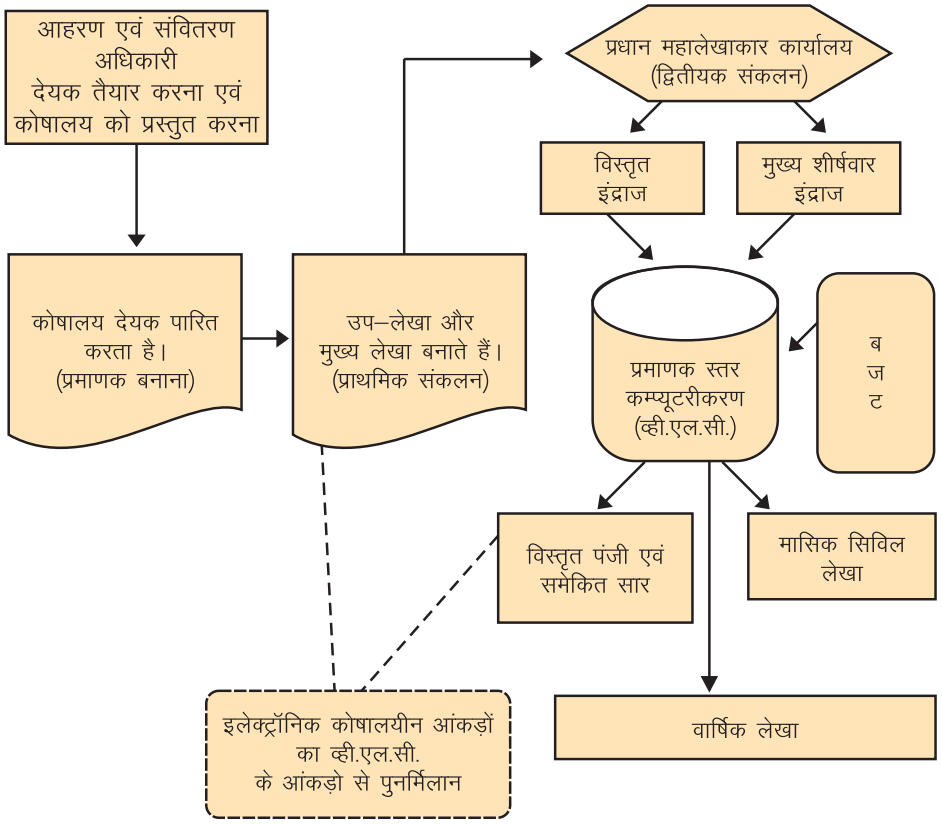

1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के साथ ही राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं के वित्तीय परिणामों, लोक ऋण के लेखाओं एवं लोक लेखे में दर्ज शेषों के लेखाओं का चित्रण करते हैं। वित्त लेखाओं को अधिक विस्तृत एवं सूचनात्मक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2009–10 से इन्हें दो खण्डों में जारी किया गया है। खण्ड–I में भारत के नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित सकल प्राप्तियों एवं संवितरणों के संक्षिप्त विवरण पत्रक एवं लेखांकन नीतियों के महत्वपूर्ण सार को समाविष्ट करते हुए लेखाओं पर टिप्पणी, लेखाओं की गुणवत्ता एवं अन्य मदें समाहित हैं। खण्ड–II में अन्य संक्षिप्त विवरण (भाग–I), विस्तृत विवरण (भाग–II) एवं परिशिष्ट (भाग–III) शामिल हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2013–14 के वित्त लेखे में सम्मिलित प्राप्तियां एवं संवितरण निम्नानुसार हैं:–

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां कुल : 8,57,62	राजस्व कुल : 7,57,49	कर राजस्व	5,62,67
		गैर कर राजस्व	77,05
		सहायता अनुदान	1,17,77
	पूंजीगत कुल : 1,00,13	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां*	93
		उधार और अन्य दायित्व	98,82
		अन्य प्राप्तियां	38
संवितरण कुल : 8,57,62	राजस्व		6,98,70
	पूंजीगत		1,08,13
	उधार और अग्रिम		50,77
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन		2

संघ सरकार, राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/अशासकीय संगठनों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सीधे प्रचुर निधियां स्थानान्तरित करती हैं। इस वर्ष, भारत सरकार ने सीधे ₹ 94,68[3] करोड़ (विगत वर्ष 70,61[4] करोड़) विमुक्त किये हैं। चूंकि ये निधियां राज्य के बजट के माध्यम से नहीं दी गई हैं अतः ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रतिबिम्बित नहीं होती। अब ये स्थानांतरण वित्त लेखे के खण्ड–II के परिशिष्ट–VII में प्रदर्शित हो रहे हैं।

---

1 उधार और अन्य दायित्व: लोक ऋण की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 55,36 करोड़) + आकस्मिक निधि की निवल राशि (निरंक) + लोक लेखे की निवल राशि (प्राप्तियां–संवितरण) (₹ 47,82 करोड़) + रोकड़ शेष का प्रारंभिक एवं अंतिम शेष (₹ (–) 4,36 करोड़)

2 सहकारी संस्थाओं/बैंकों द्वारा अंशपूंजी में निवेश की वापसी से संबंधित पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 36 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित हैं।

3 वित्त लेखे 2013–14 के अनुसार ₹ 92,80 करोड़

4 वित्त लेखे 2012–13 के अनुसार ₹ 62,34 करोड़

आंकड़े महालेखानियंत्रक की वेबसाइट के सी.पी.एस.एम.एस. पोर्टल से लिये गए हैं एवं वित्त लेखे से मेल नहीं खाते क्योंकि वित्त लेखे में केवल प्रमुख योजनाएं ही समाहित है।

1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे वित्त लेखे के पूरक हैं। वे राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित ''दत्तमत'' और संचित निधि पर ''प्रभारित'' राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को प्रदर्शित करते हैं। इसमें 55 प्रभारित विनियोग एवं 133 दत्तमत अनुदानों के लेखे सम्मिलित हैं।

विनियोग अधिनियम 2013–14 में ₹ 11,35,49.58 करोड़ के सकल व्यय एवं ₹ 24,97.54 करोड़ व्यय में कमी (वसूलियां) उपबंधित हैं। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 9,04,32.05 करोड़ एवं व्यय में कमी ₹ 6,65.25 करोड़ रही, परिणामतः ₹ 2,31,17.53 करोड़ की शुद्ध बचत (20.35 प्रतिशत) एवं ₹ 18,32.29 करोड़ (73.36 प्रतिशत) प्राक्कलन से अधिक 'व्यय में कमी' रही। राजस्व एवं पूंजीगत में व्यय में कमी प्राक्कलन से कम रही। सकल व्यय में 255 सार आकस्मिक देयकों से आहरित राशि ₹ 1.64 करोड़ सम्मिलित है, जिसके विरूद्ध वर्षान्त तक 203 विस्तृत आकस्मिक देयकों की कुल राशि ₹ 1.17 करोड़ समायोजित की गई। शेष 52 विस्तृत आकस्मिक देयकों की प्रतीक्षा में राशि ₹ 0.47 करोड़ लंबित रही।

वर्ष 2013–14 में ₹ 24.66 करोड़ समेकित निधि से लोक लेखे के अंतर्गत व्यक्तिगत जमा खातों में अंतरित किए गए, जो निर्दिष्ट प्रशासकों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए संधारित किए जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय वर्ष के अंत में व्यक्तिगत जमा खातों के अन्तर्गत अव्ययित रही राशि यदि कोई हो, शासन को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के स्थानान्तरणों का विस्तृत विवरण एवं व्यक्तिगत जमा खातों में लंबित शेष केवल कोषालयों में उपलब्ध है, क्योंकि वे इस प्रकार का अभिलेख संधारित करने हेतु जिम्मेदार है।

1.4 निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय पेशगियां

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा प्रदान कर उसकी तरलता बनाये रखने में समर्थ बनाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किये गये करार के अनुसार न्यूनतम शेष राशि (₹ 1.96 करोड़) में कमी होने पर अधिविकर्षण की सुविधा दी जाती है। 2013–14 के दौरान मध्यप्रदेश सरकार ने अर्थोपाय पेशगी या अधिविकर्षण सुविधा का आश्रय नहीं लिया।

1.4.2 निधियों के प्रवाह का विवरण

राज्य के पास ₹ 58,79 करोड़ का राजस्व अतिशेष एवं ₹ 98,82 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.30 प्रतिशत एवं 2.19 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 12 प्रतिशत रहा। यह घाटा लोक ऋण (₹ 55,36 करोड़) लोक लेखे में आधिक्य (₹ 47,82 करोड़) एवं प्रारंभिक एवं अंतिम शेष का निवल ₹ (–) 4,36 करोड़ से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 7,57,49 करोड़) का लगभग 40 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय जैसे मजदूरी सहित वेतन (₹ 1,83,61 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 63,91 करोड़) एवं पेंशन (₹ 57,55 करोड़) पर व्यय किया गया।

निधियों के स्त्रोत एवं अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्त्रोत	01 अप्रैल 2013 को प्रारंभिक नगद शेष	(–) 2,63
	राजस्व प्राप्तियां	7,57,49
	पूंजीगत प्राप्तियां	36
	कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियां	93
	सार्वजनिक ऋण	95,41
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	27,84
	आरक्षित एवं शोधन निधि	16,12
	जमा प्राप्ति	97,65
	चुकता सिविल अग्रिम	6,04
	उचन्त लेखा	19,88,81
	प्रेषण	1,56,02
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2
	योग	**31,44,06**

[5] जहाँ अन्यथा दर्शाया गया है, के सिवाय, इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अंक म. प्र. शासन के योजना विभाग के आर्थिक सर्वेक्षण से लिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	6,98,70
	पूंजीगत व्यय	1,08.13
	दिए गए कर्जे	50,77
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	40,05
	अल्प बचतें, भविष्य निधियां तथा अन्य	18,36
	आरक्षित एवं शोधन निधि	6,44
	जमा व्यय	1,02,55
	दिए गए सिविल अग्रिम	6,02
	उचन्त लेखा	19,58,13
	प्रेषण	1,53,16
	31 मार्च 2014 को अंतिम नगद शेष	1,73
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2
	योग	**31,44,06**

1.4.3 रूपया कहां से आया

वास्तविक प्राप्तियां

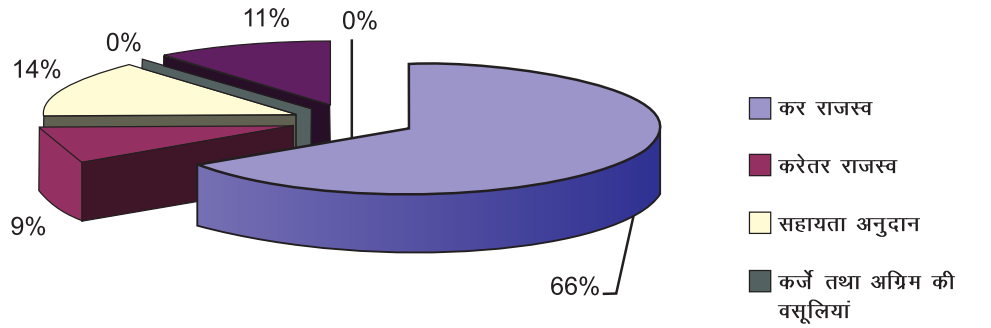

टीप :– शून्य वर्ष के दौरान नगण्य ''अन्य प्राप्तियां'' दर्शाता है।

1.4.4 रुपया कहां गया

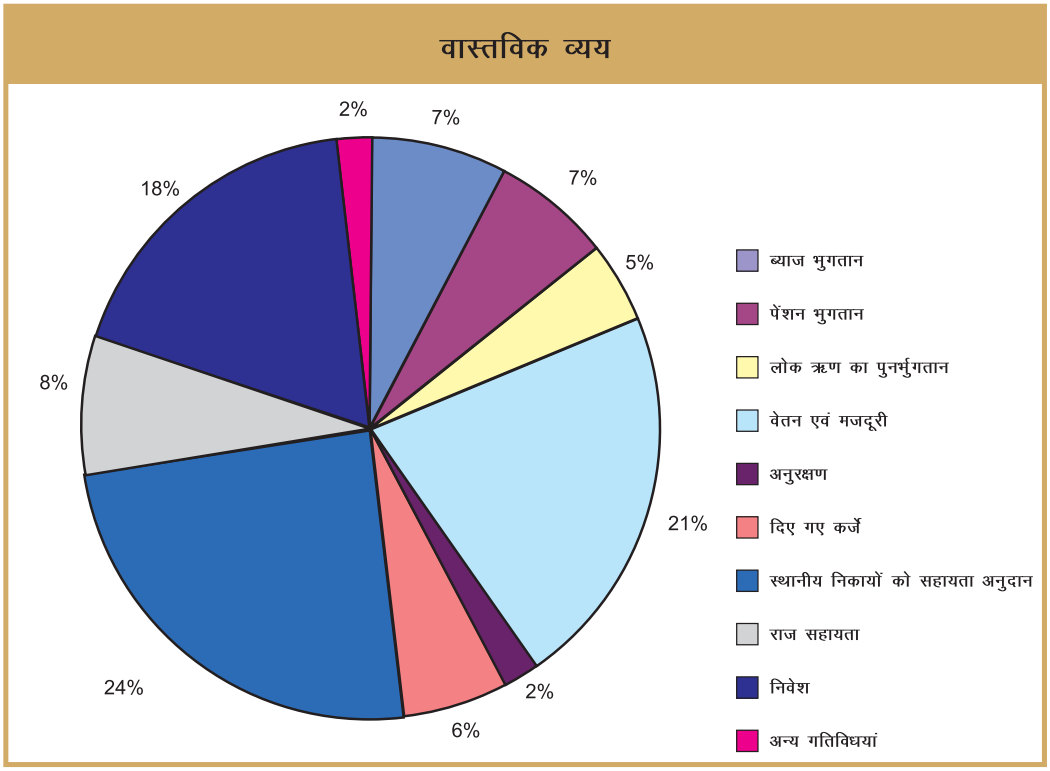

1.5 लेखे की प्रमुखतायें

मदें	बजट अनुमान 2013–14	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता[6]
1. कर राजस्व [7]	5,70,75	5,62,67	99	12
2. करेतर राजस्व	75,84	77,05	102	2
3. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,49,45	1,17,77	79	3
4. राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	7,96,04	7,57,49	95	17
5. ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	1,25	93	74	0

[6] योजना विभाग म.प्र.शासन द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद राशि ₹ 45,09,00 करोड़ ली गई है।

[7] संघ कर का अंश ₹ 2,27,15 करोड़ सम्मिलित है।

मदें	बजट अनुमान 2013–14	वास्तविक राशि	बजट अनुमान से वास्तविक राशि की प्रतिशतता	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक राशि की प्रतिशतता[6]
6. अन्य प्राप्तियां [8]	–	38	–	0
7. उधार तथा अन्य दायित्व [9]	1,22,91	98,82	80	2
8. पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	1,24,16	1,00,13	81	2
9. कुल प्राप्तियां (4+8)	9,20,19	8,57,62	93	19
10. आयोजनेत्तर व्यय [10]	5,43,39	5,33,94	98	12
11. राजस्व लेखे का आयोजनेत्तर व्यय	5,08,27	5,04,43	99	11
12. 11में सम्मिलित ब्याज अदायगी पर आयोजनेत्तर व्यय	65,19	63,91	98	1
13. पूंजीगत लेखे का आयोजनेत्तर व्यय[11]	35,12	29,51	84	1
14. आयोजना व्यय	3,76,08	3,23,68	86	7
15. राजस्व लेखे का आयोजना व्यय	2,35,62	1,94,27	82	4
16. पूंजीगत लेखे का आयोजना व्यय [12]	1,40,46	1,29,41	92	3
17. कुल व्यय (10+14)	9,19,47	8,57,62	93	19
18. राजस्व व्यय (11+15)	7,43,89	6,98,70	94	15
19. पूंजीगत व्यय (13+16) [13]	1,75,58	1,58,92	91	4
20. राजस्व आधिक्य (4–18)	52,15	58,79	113	1
21. राजकोषीय घाटा (4+5+6–17)	1,22,19	98,82	81	2

[8] पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 2 देखें।

[9] पृष्ठ क्रमांक 3 पर पाद टिप्पणी 1 देखें।

[10] वास्तविक आयोजनेत्तर व्यय में राजस्व व्यय (₹ 5,04,43 करोड़) पूंजीगत व्यय (₹ 43 करोड़) तथा संवितरित ऋण तथा अग्रिम (₹ 29,06 करोड़) तथा अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित है।

[11] ₹ 29,06 करोड़ ''ऋण और अग्रिम'', ₹ 2 करोड़ ''अंतर्राज्यीय परिशोधन'' तथा ₹ 43 करोड़ ''पूंजीगत व्यय'' सम्मिलित है।

[12] पूंजीगत योजना व्यय ₹ 1,07,70 करोड़ तथा योजना ऋण और अग्रिम व्यय ₹ 21,71 करोड़ सम्मिलित है।

[13] पूंजीगत लेखे पर व्यय में पूंजीगत व्यय (₹ 1,08,13 करोड़) एवं संवितरित ऋण तथा अग्रिम (₹ 50,77 करोड़) तथा अन्तर्राज्यीय परिशोधन (₹ 2 करोड़) सम्मिलित हैं।

1.6 घाटा और आधिक्य क्या संकेत करते हैं ?

घाटा	राजस्व और व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। घाटे का प्रकार, घाटा कैसे वित्त व्यवस्थित किया जाता है और निधियों का अनुप्रयोग वित्तीय व्यवस्था में दूरदर्शिता के मुख्य सूचक है।
राजस्व घाटा / आधिक्य	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। राजस्व व्यय शासन की विद्यमान स्थापना के संधारण के लिए अपेक्षित है तथा आदर्श रूप से पूर्णतः राजस्व प्राप्तियों से पूरा होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / आधिक्य	कुल प्राप्तियों (उधारों को पृथक कर) तथा कुल व्यय के अंतर को निर्दिष्ट करता है। अतः यह अंतर दर्शाता है कि उधारों द्वारा किस सीमा तक व्यय को वित्त व्यवस्थित किया गया है। आदर्श रूप से उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

घाटा सूचक, राजस्व आवर्धन तथा व्यय व्यवस्थापन शासन के राजकोषीय प्रदर्शन के विवेचन के वृहद् मापदण्ड हैं। 12वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि वर्ष 2008–09 तक राज्य राजस्व आधिक्य का उपार्जन करे तथा वर्ष 2009–10 तक निवल राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत तक करें। आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे– सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की स्वीकार्य सीमा को वर्ष 2009–10 में 4 प्रतिशत, 2010–11 में 3.5 प्रतिशत तक तथा आगे पुनः वर्ष 2011–12 से 3 प्रतिशत तक शिथिल किया। परिणामस्वरूप म.प्र.सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत तक सीमित रखा गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14[14] के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय घाटा 2.98 प्रतिशत अनुमानित किया गया था जबकि वास्तविक राजकोषीय घाटा 2.19 प्रतिशत है।

राज्य सरकार शीघ्रतम 2004–05 में राजस्व आधिक्य को उपार्जित करने में सफल रही है तथा इसे तदोपरांत[15] बनाए हुए हैं।

[14] वर्ष 2012–13 में राजकोषीय घाटा ₹ 94,20 करोड़ तथा 2013–14 में ₹ 98,82 करोड़ था।

[15] वर्ष 2012–13 में राजस्व आधिक्य ₹ 74,59 करोड़ तथा 2013–14 में ₹ 58,79 करोड़ था।

1.6.1 *राजस्व आधिक्य की प्रवृत्ति* (₹ करोड़ में)

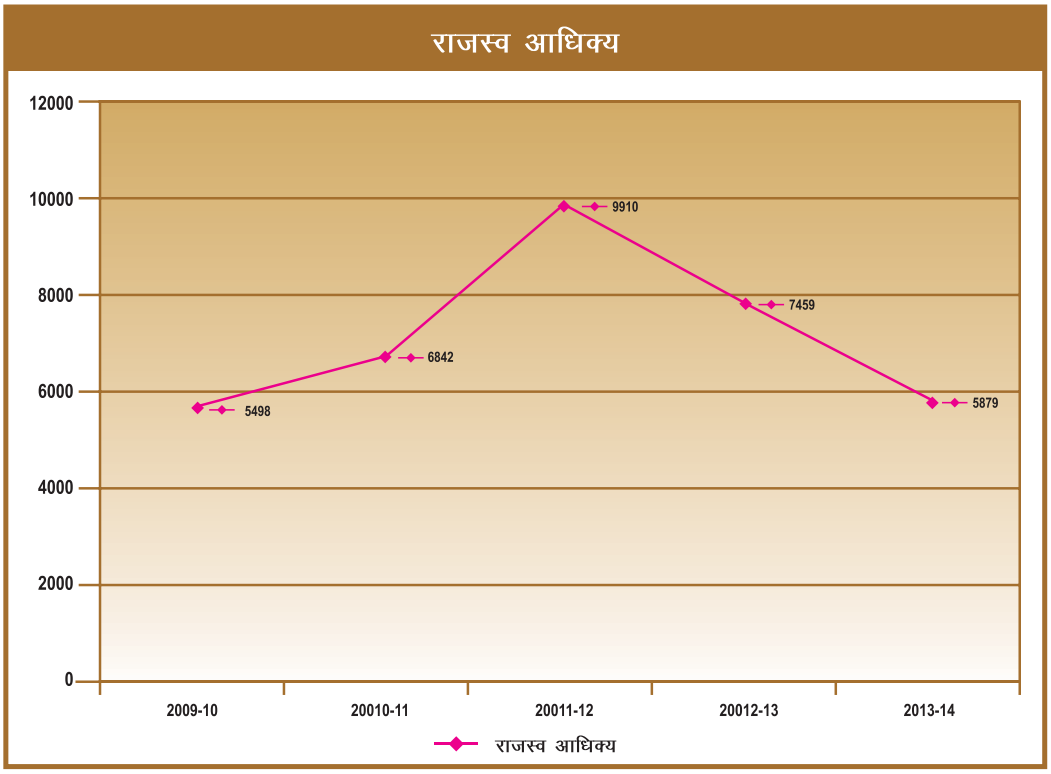

1.6.2 *राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति* (₹ करोड़ में)

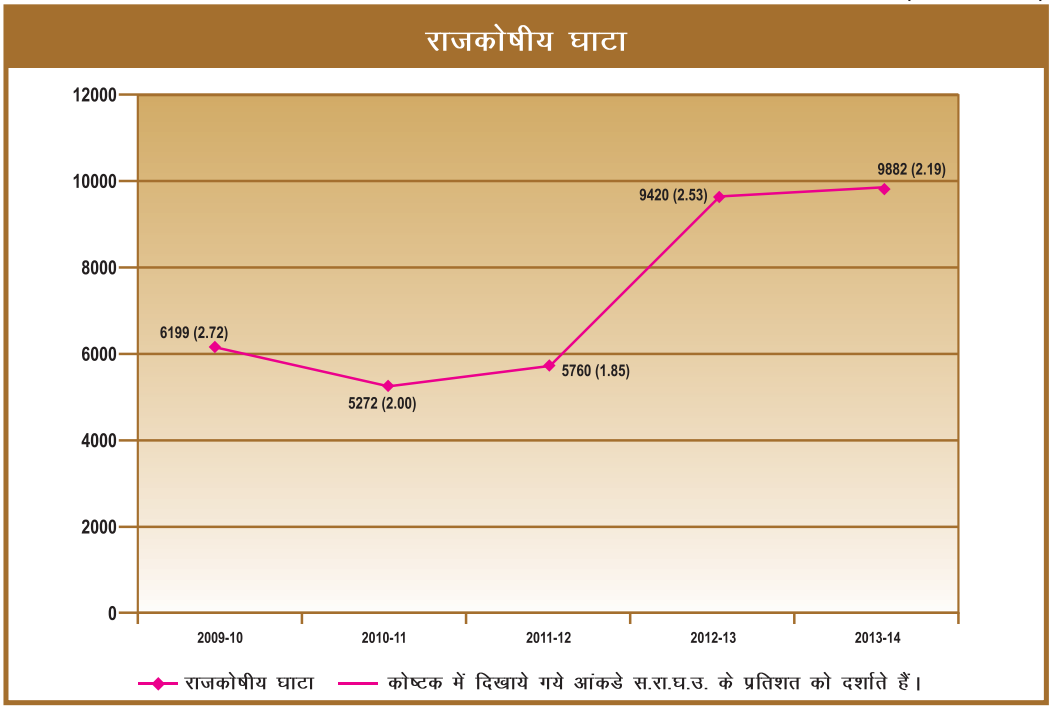

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधियों का अनुपात

(₹ करोड़ में)

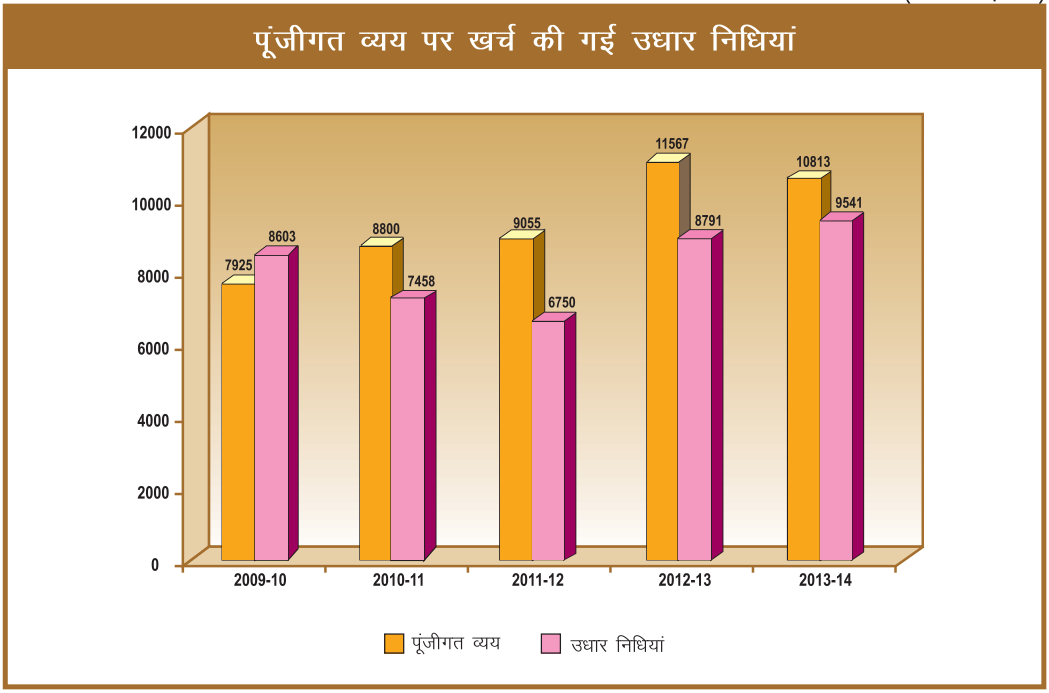

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जावे तथा मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया जावे। तथापि राज्य सरकार ने चालू वर्ष के लिये उधार के रूप में ₹ 95,41 करोड़ प्राप्त किये तथा इस राशि में से ₹ 40,05 करोड़ लोक ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च किये।

अध्याय 2

प्राप्तियां

2.1 प्रस्तावना

शासन की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2013–14 में कुल प्राप्तियां ₹ 8,57,62 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियां

कर राजस्व	राज्य द्वारा एकत्रित तथा प्रतिधारित एवं संविधान के अनुच्छेद 280(3) के अधीन राज्य के संघीय कर अंश समाविष्ट होते हैं।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ इत्यादि सम्मिलित होते हैं।
सहायता अनुदान	संघीय सरकार से राज्य सरकार को अत्यावश्यक केन्द्रीय सहायता का रूप है। संघीय सरकार की मध्यस्थता द्वारा एवं विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य अनुदान सहायता तथा सहायता, सामग्री तथा उपकरण सम्मिलित है। इसी प्रकार राज्य शासन, संस्थाओं जैसे :– पंचायती राज संस्थाएं, स्वशासी निकाय आदि को भी सहायता अनुदान देता है।

राजस्व प्राप्तियां

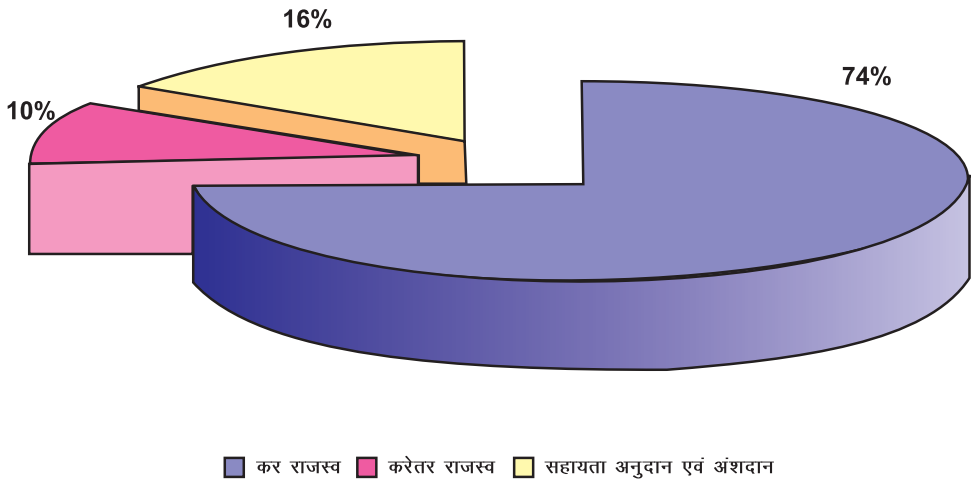

राजस्व प्राप्तियों के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक राशि
अ. कर राजस्व	5,62,67
आय और व्यय पर कर	1,29,45
पूंजीगत लेन–देनों तथा संपत्ति पर कर	44,54
वस्तुओं और सेवाओं पर कर	3,88,68
ख. करेतर राजस्व	77,05
ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ	6,97
सामान्य सेवाएं	5,98
सामाजिक सेवाएं	21,97
आर्थिक सेवाएं	42,13
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	1,17,77
योग – राजस्व प्राप्तियां	**7,57,49**

2.3 प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
कर राजस्व	2,83,50 (12)	3,70,58 (14)	4,51,92 (15)	5,13,87 (14)	5,62,67 (12)
करेतर राजस्व	63,82[16] (3)	57,20 (2)	74,83 (2)	70,00 (2)	77,05 (2)
सहायता अनुदान	66,63 (3)	90,76 (4)	99,29 (3)	1,20,40 (3)	1,17,77 (3)
योग–राजस्व प्राप्तियां	4,13,95 (18)	5,18,54 (20)	6,26,04 (20)	7,04,27 (19)	7,57,49 (17)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद[17]	22,75,57	26,33,96	31,16,70	37,21,71	45,09,00

नोट : कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

[16] इसमें केन्द्र सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितीकरण तथा राहत सुविधा के रूप में प्राप्त राहत ₹ 3,63 करोड़ सम्मिलित है।

[17] वर्तमान कीमतों पर अनुमानित स.रा.घ.उ.पुनरीक्षित है। अतः स.रा.घ.उ.के संदर्भ में पूर्व संस्करणों में दर्शाए गए विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात भी पुनरीक्षित किए गए हैं।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में 21 प्रतिशत बढ़ी तथापि राजस्व संग्रहण में वृद्धि केवल आठ प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2012–13 की तुलना में 2013–14 में कर राजस्व में नौ प्रतिशत तथा करेतर राजस्व में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में राजस्व प्राप्तियों के अधीन घटक

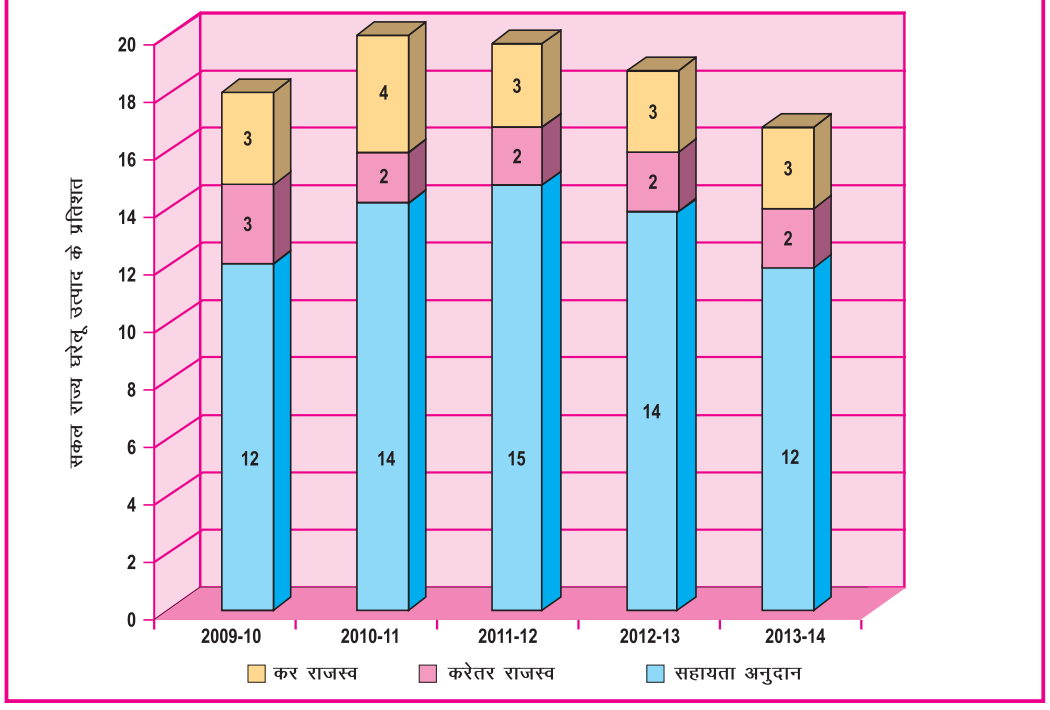

क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

घटक	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
आय और व्यय पर कर	73,14	95,76	1,10,81	1,22,02	1,29,45
संपत्ति और पूंजीगत लेन देनों पर कर	19,74	28,88	46,70	48,13	44,54
सेवाओं और वस्तुओं पर कर	1,90,62	2,45,94	2,94,41	3,43,72	3,88,68
कुल कर राजस्व	**2,83,50**	**3,70,58**	**4,51,92**	**5,13,87**	**5,62,67**

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में मुख्य करों का रूझान

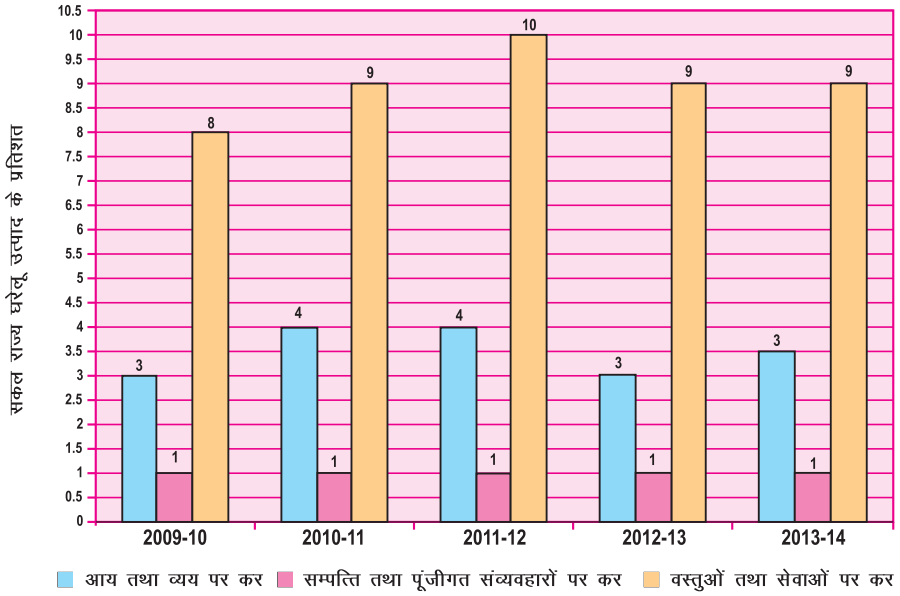

(*) प्राथमिक रूप से राज्य को केन्द्रांश की निवल प्राप्ति

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघ करों में राज्य का अंश	राज्य का कर राजस्व	
			रुपये	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
2009–10	2,83,50	1,10,77	1,72,73	8
2010–11	3,70,58	1,56,39	2,14,19	8
2011–12	4,51,92	1,82,19	2,69,73	9
2012–13	5,13,87	2,08,05	3,05,82	8
2013–14	5,62,67	2,27,15	3,35,52	7

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
राजस्व संग्रहण	19,74	28,88	46,70	48,13	44,54
संग्रहण पर व्यय	5,56	6,32	7,52	7,23	10,39
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	28	22	16	15	23

ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
राजस्व संग्रहण	1,90,62	2,45,94	2,94,41	3,43,72	3,88,68
संग्रहण पर व्यय	10,43	15,98	15,16	16,60	15,42
कर संग्रहण में दक्षता (प्रतिशत में)	5	6	5	5	4

कर राजस्व का मुख्य अंश वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर से आता है। कर संग्रहण में दक्षता श्रेष्ठ है तथापि संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर संग्रहण दक्षता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 विगत पांच वर्षों में संघीय करों में राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
निगम कर	45,59	61,13	71,71	74,73	76,39
आय पर निगम कर से भिन्न कर	25,39	32,30	36,43	44,74	50,30
धन कर	10	13	28	13	21
सीमा शुल्क	15,50	27,35	31,59	34,57	37,06
संघ उत्पाद शुल्क	12,49	19,89	20,44	23,50	26,18
सेवा कर	11,70	15,59	21,74	30,38	37,01
संघ करों में राज्य का अंश	1,10,77	1,56,39	1,82,19	2,08,05	2,27,15
कुल कर राजस्व	2,83,50	3,70,58	4,51,92	5,13,87	5,62,67
कुल कर राजस्व में संघ करों का प्रतिशत	39	42	40	40	40

2.7 सहायक अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता को प्रदर्शित करती है तथा इसमें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य आयोजनेत्तर सहायता एवं योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य आयोजनागत योजनाएं, केन्द्र आयोजनागत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित सहायता शामिल है।

वर्ष 2013–14 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों में राज्य सहायता ₹ 1,17,77 करोड़ थी जिसे नीचे दिखाया गया है :–

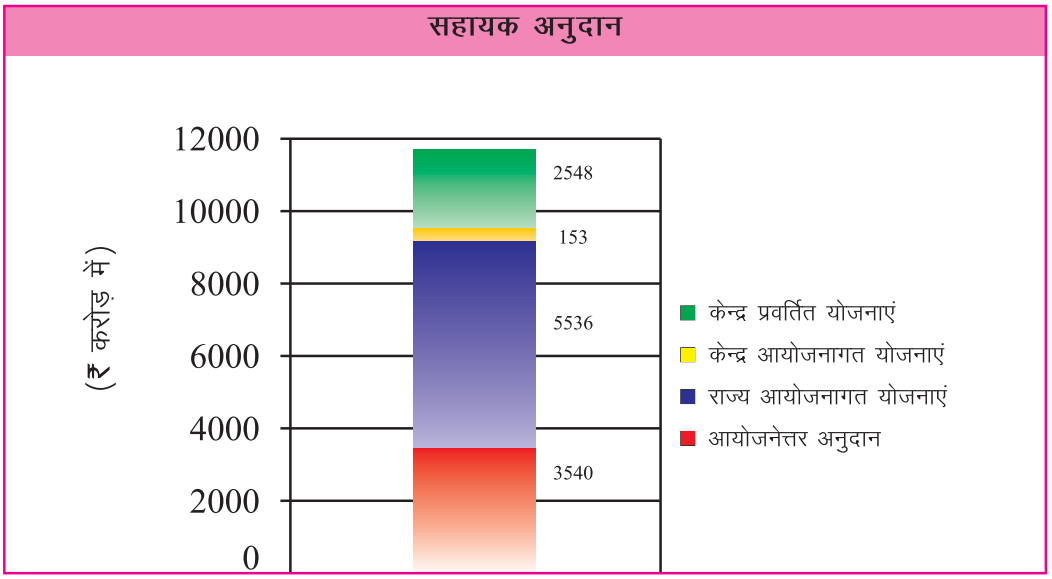

बजट अनुमान ₹ 1,49,45 करोड़ आयोजनेत्तर एवं आयोजनागत योजना में संघ अंश के विरूद्ध राज्य सरकार को वास्तविक रूप से ₹ 1,17,77 करोड़ (बजट अनुमान का 79 प्रतिशत) सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

2.8 लोक ऋण

विगत पांच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
आंतरिक ऋण	53,20	43,52	31,97	42,98	50,86
केन्द्रीय ऋण	8,88	5,77	4,03	9,09	4,50
योग – लोक ऋण	**62,08**	**49,29**	**36,00**	**52,07**	**55,36**

टीप :– निवल आंकड़े = प्राप्तियां – भुगतान।

वर्ष 2013–14 में 9.29 प्रतिशत से 9.68 प्रतिशत की ब्याज दर पर ₹ 50,00 करोड़ के छः ऋण जो वर्ष 2023–24 में सममूल्य पर मोचनीय थे, लिये गये।

अध्याय 3

व्यय

3.1 प्रस्तावना

व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया गया है। संगठन को चलाने के लिये प्रतिदिन होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये राजस्व व्यय का उपयोग होता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी संपत्ति के निर्माण या ऐसी संपत्ति की उपयोगिता को बढ़ाने में या स्थायी दायित्वों को कम करने में होता है। व्यय को आयोजना और आयोजनेत्तर के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	इसमें न्याय प्रशासन, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन आदि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि शामिल है।
आर्थिक सेवाएं	इसमें कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2013–14 का राजस्व व्यय ₹ 6,98,70 करोड़ था, जो कि बजट अनुमान से ₹ 45,19 करोड़ कम था क्योंकि ₹ 3,84 करोड़ आयोजनेत्तर व्यय के अंतर्गत तथा ₹ 41,35 करोड़ आयोजना व्यय के अंतर्गत कम वितरण किया गया था। राज्य द्वारा मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम 2005 के संबंध में राजस्व आधिक्य को संधारित किया।

विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बजट अनुमान के विरूद्ध व्यय को नीचे दिया गया है :

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
बजट अनुमान	3,82,62	4,18,63	5,39,23	6,35,43	7,43,89
वास्तविक	3,58,97	4,50,12	5,26,94	6,29,68	6,98,70
अंतर	23,65	(–) 31,49	12,29	5,75	45,19
बजट अनुमान से अंतर का प्रतिशत	6	(–) 8	2	1	6

उपरोक्त तालिका बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व व्यय में (6 प्रतिशत की) कमी को दर्शाती है जो कि मुख्यतया आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में ₹ 3,84 करोड़ तथा वास्तविक आयोजना व्यय में ₹ 41,35 करोड़ की कमी के कारण हुई।

3.2.1 राजस्व व्यय का प्रक्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

संघटक		राशि	प्रतिशत
क.	**राजकोषीय सेवाए**	**25,83**	4
(1)	संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	10,39	2
(2)	वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	15,42	2
(3)	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2	–
ख.	**राज्य के अंग**	**8,38**	1
ग.	**ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन**	**63,91**	9
घ.	**प्रशासनिक सेवाएं**	**48,34**	7
ङ.	**पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं**	**59,45**	9
च.	**सामाजिक सेवाएं**	**2,77,68**	40
छ.	**आर्थिक सेवाएं**	**1,69,72**	24
ज.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**45,39**	6
	योग व्यय (राजस्व लेखा)	**6,98,70**	100

3.2.2 राजस्व व्यय के प्रधान संघटक (2009–14)

(₹ करोड़ में)

राजस्व व्यय के प्रधान संघटकों का रुझान

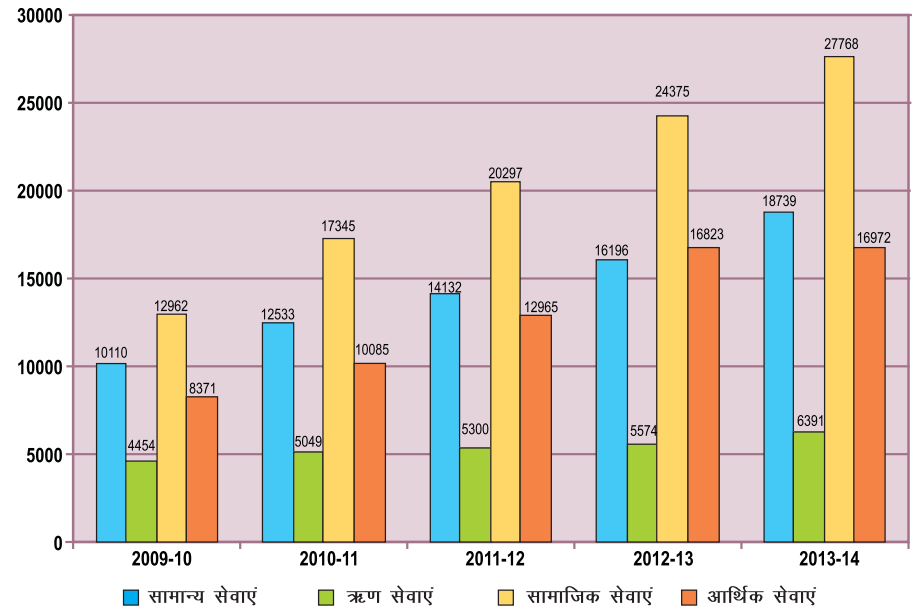

* सामान्य सेवाओं से **मुख्यशीर्ष 2049 (ब्याज अदायगी)** को अलग किया गया है तथा **मुख्यशीर्ष 3604 (स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्वत्वार्पण तथा क्षतिपूर्ति)** को शामिल किया गया है।

3.3 पूंजीगत व्यय

3.3.1 पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2013–14 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 44,36 करोड़ (मुख्य सिंचाई पर ₹ 25,57 करोड़, मध्यम सिंचाई पर ₹ 6,86 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹ 11,93 करोड़) व्यय किये। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा शीर्ष ''आवास'' के अंतर्गत ₹ 73 करोड़ भवनों के निर्माण पर तथा ₹ 6,19 करोड़ विभिन्न सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों/सहकारी संस्थाओं में निवेश पर व्यय किये गये।

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	**सामान्य सेवाएं** – पुलिस, भू–राजस्व इत्यादि	1,97	1
2.	**सामाजिक सेवाएं** – शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण इत्यादि	18,99	12
3.	**आर्थिक सेवाएं** – कृषि, ग्राम विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि	87,17	55
4.	ऋण तथा अग्रिम वितरित	50,77	32
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	2	–
	योग	**1,58,92**	**100**

3.3.2 विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय का प्रक्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	क्षेत्र	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.	सामान्य सेवाएं	1,19	1,79	1,67	2,05	1,97
2.	सामाजिक सेवाएं	11,78	15,32	15,99	16,21	18,99
3.	आर्थिक सेवाएं	66,28	70,89	72,89	97,41	87,17
4.	ऋण तथा अग्रिम	38,17	37,15	1,57,60	53,78	50,77
5.	अंतर्राज्यीय परिशोधन	3	2	4	7	2
	योग	**1,17,45**	**1,25,17**	**2,48,19**	**1,69,52**	**1,58,92**

पूंजीगत व्यय के प्रक्षेत्रवार वितरण का रूझान

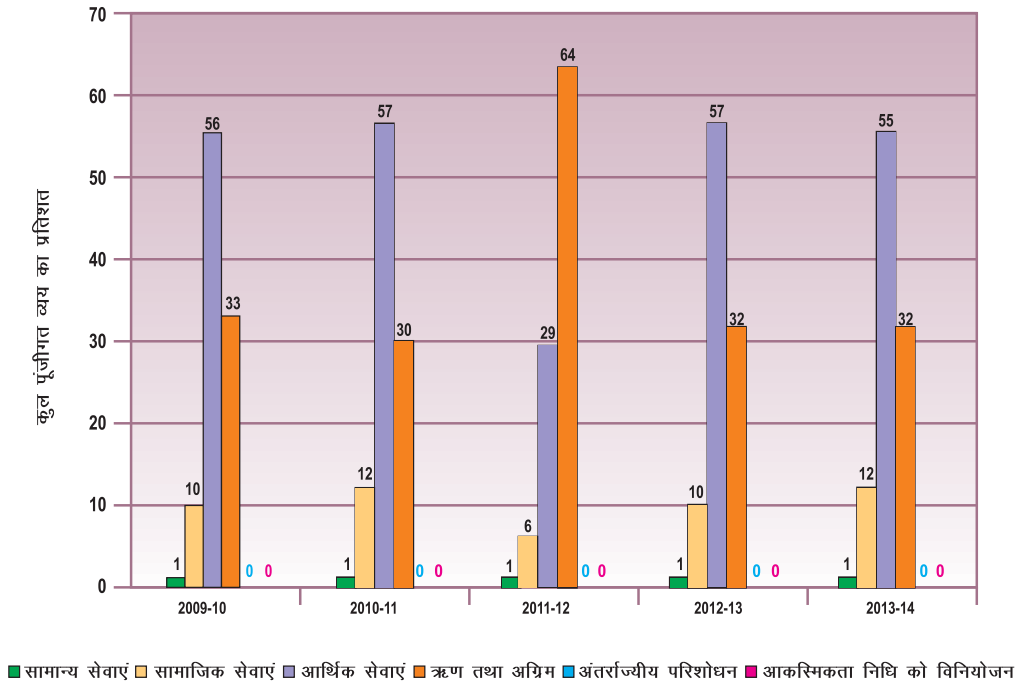

अध्याय 4

आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय

4.1 व्यय का वितरण

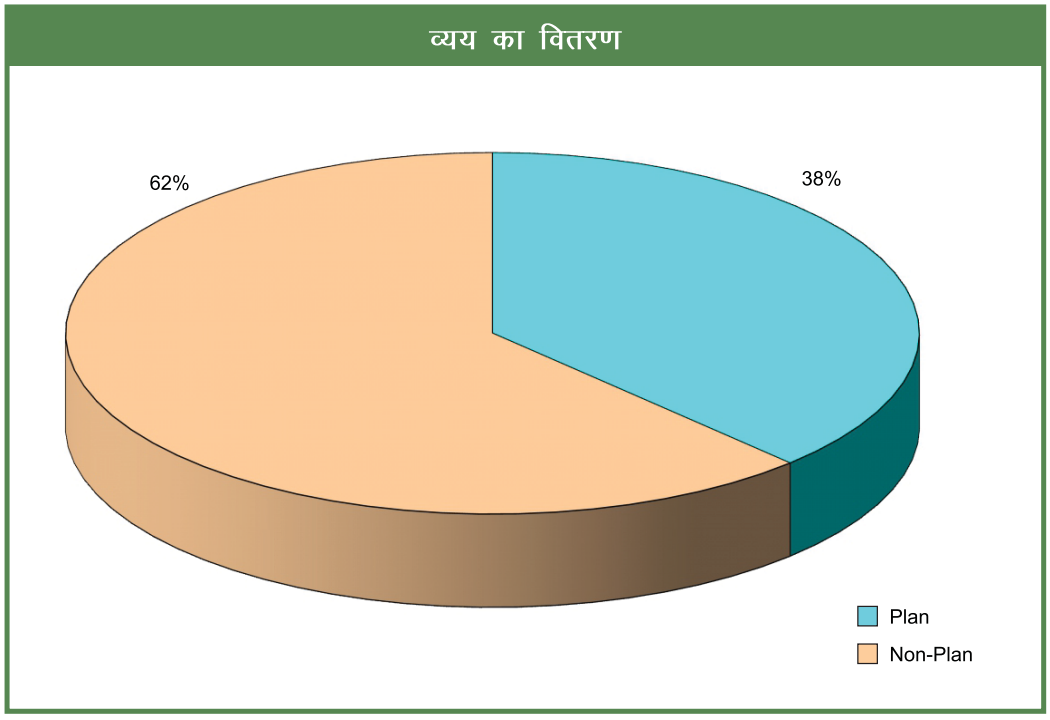

4.2 आयोजना व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजना व्यय ₹ 3,23,68 करोड़ (₹ 2,20,91 करोड़ राज्य आयोजना के अंतर्गत, ₹ 81,06 करोड़ केन्द्र प्रवर्तित/केंद्रीय आयोजना योजना के अंतर्गत तथा ₹ 21,71 करोड़ कर्जे और पेशगियों के अंतर्गत) था जो कि कुल वितरण का 38 प्रतिशत को प्रदर्शित करता है।

कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में आयोजना व्यय

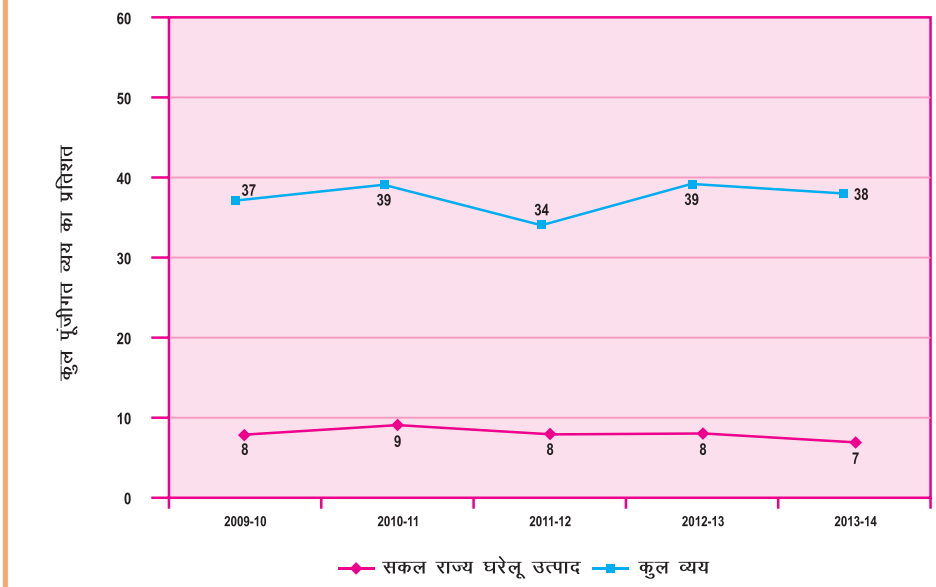

4.2.1 पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत आयोजना व्यय (₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
कुल पूंजीगत व्यय	1,17,45	1,25,17	2,48,19	1,69,52	1,58,92
पूंजीगत व्यय	79,11	96,17	1,01,02	1,30,79	1,29,41
कुल पूंजीगत व्यय का पूंजीगत व्यय (आयोजना) प्रतिशत	67	77	41	77	81

4.3 आयोजनेत्तर व्यय

वर्ष 2013–14 के दौरान आयोजनेत्तर व्यय, कुल संवितरण का 62 प्रतिशत दर्शाते हुए ₹ 5,33,94 करोड़, (राजस्व के अन्तर्गत ₹ 5,04,43 करोड़ एवं पूंजीगत के अन्तर्गत ₹ 29,51 करोड़) था।

कुल व्यय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में आयोजनेत्तर व्यय

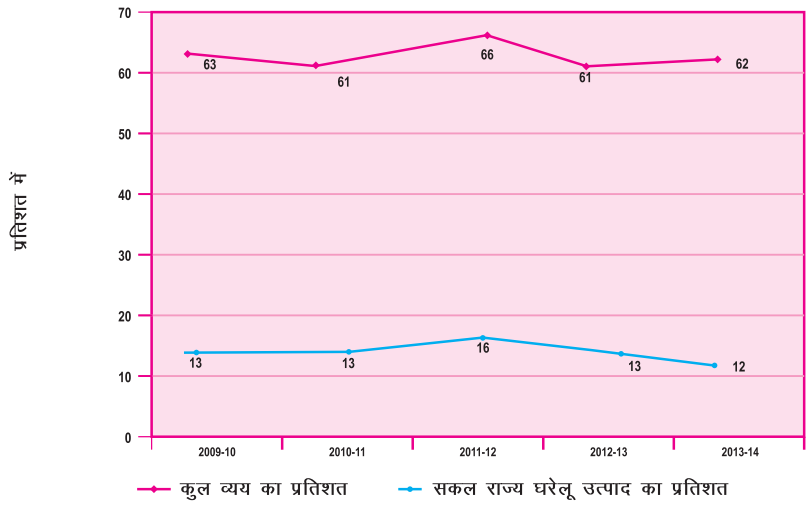

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय का रूझान

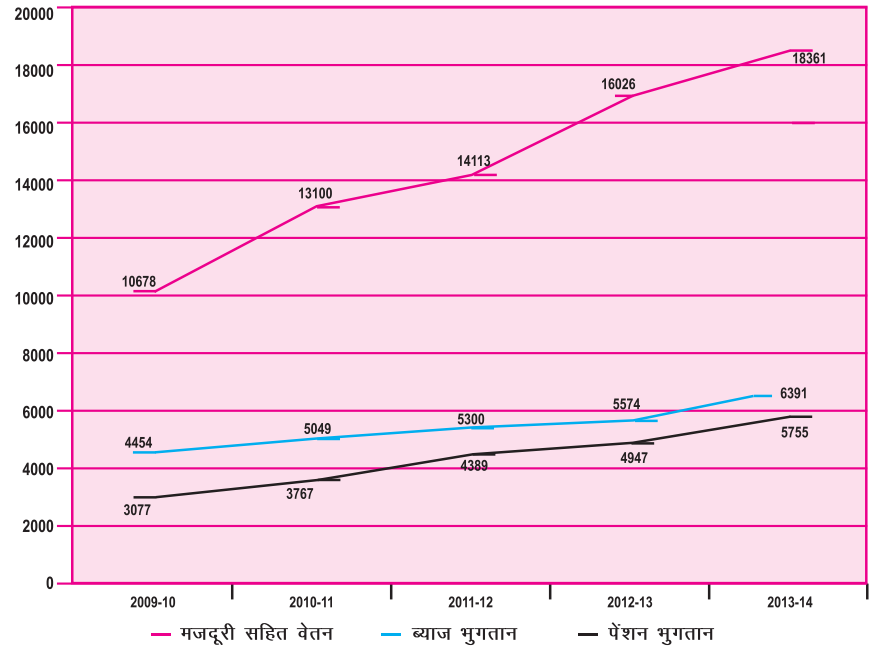

पिछले साल की तुलना में वेतन (मजदूरी सहित) में 15 प्रतिशत, ब्याज में 15 प्रतिशत एवं पेंशन भुगतान में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(₹ करोड़ में)

घटक	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
प्रतिबद्ध व्यय	1,82,09	2,19,16	2,38,02	2,65,47	3,05,07
राजस्व व्यय	3,58,97	4,50,12	5,26,94	6,29,68	6,98,70
राजस्व प्राप्तियां	4,13,95	5,18,54	6,26,04	7,04,27	7,57,49
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	44	42	38	38	40
राजस्व व्यय का प्रतिबद्ध व्यय प्रतिशत	51	49	45	42	44

प्रतिबद्ध व्यय पर मुख्य संवितरण राज्य सरकार के साथ विकास खर्च के लिये कम लोच्यता छोड़ता है।

अध्याय 5

विनियोग लेखे

5.1 विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(–) आधिक्य(+)	समर्पण
1	राजस्व दत्तमत *प्रभारित*	6,90,59.33 *74,75.99*	74,81.74 *7,00.56*	7,65,41.07 *81,76.55*	6,30,28.13 *73,52.50*	(–)1,35,12.94 *(–) 8,24.05*	(–)86,98.51 *(–) 2,42.88*
2	पूंजीगत दत्तमत *प्रभारित*	1,14,31.69 *21.79*	25,18.61 *5.00*	1,39,50.30 *26.79*	1,09,51.03 *17.19*	(–) 29,99.27 *(–) 9.60*	(–)21,42.38 *(–) 0.49*
3	लोक ऋण *प्रभारित*	*80,17.43*	*5.26*	*80,22.69*	*40,04.64*	*(–) 40,18.05*	*(–) 2.17*
4	ऋण एवं अग्रिम दत्तमत *प्रभारित*	64,55.60 —	3,76.58 —	68,32.18 —	50,78.56 —	(–) 17,53.62 —	(–) 14,52.32 —
	योग	**10,24,61.83**	**1,10,87.75**	**11,35,49.58**	**9,04,32.05**	**(–)2,31,17.53**	**(–)1,25,38.75**

5.2 विगत पांच वर्षों में बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (–)/आधिक्य (+)				योग
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	
2009–10	(–) 58,66.67	(–)17,16.65	(–) 38,96.41	(–) 4,50.15	(–) 1,19,29.88
2010–11	(–) 67,91.87	(–)15,30.92	(–) 33,92.77	(–) 4,93.57	(–) 1,22,09.13
2011–12	(–) 79,87.73	(–)16,22.63	(–) 36,50.31	(–) 17,92.56	(–) 1,50,53.23
2012–13	(–) 91,98.39	(–) 22,69.64	(–) 39,03.16	(–) 20,90.01	(–) 1,74,61.20
2013–14	(–) 1,43,36.99	(–) 30,08.87	(–) 40,18.05	(–) 17,53.62	(–) 2,31,17.53

5.3 महत्वपूर्ण बचतें

एक अनुदान के अन्तर्गत विशिष्ट बचतें कुछ योजना/कार्यक्रमों के अकार्यान्वयन या धीमे कार्यान्वयन को दर्शाता है। कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें एवं विशिष्ट बचतें निम्नानुसार हैं :–

(बचत प्रतिशत में)

अनुदान	नाम	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
राजस्व दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबन्धन	13.51	12.46	15.05	14.87	16.53
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	21.77	21.02	22.85	15.46	16.27
06	वित्त	31.32	27.82	30.20	30.54	10.68
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	22.56	9.67	14.53	17.16	28.43
29	विधि एवं विधायी कार्य	15.70	41.04	20.06	28.05	35.46
48	नर्मदा घाटी विकास	34.62	28.99	16.06	19.41	26.27
64	अनुसूचित जाति उप योजना	21.55	13.00	15.09	15.13	24.54
पूंजीगत दत्तमत अनुभाग						
01	सामान्य प्रशासन एवं लोकसेवा प्रबंधन	52.27	19.40	41.82	13.40	13.10
03	पुलिस	10.92	17.19	51.79	27.73	59.84
23	जल संसाधन	36.50	8.04	10.93	13.81	16.43
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	36.07	11.71	9.71	19.51	24.50
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	29.65	50.90	11.35	11.35	5.59
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	64.29	69.64	85.47	76.77	100
64	अनुसूचित जाति उप योजना	11.55	9.01	19.36	23.48	24.23
67	लोक निर्माण कार्य भवन	14.61	33.28	38.11	32.98	49.97

2013–14 के दौरान कुछ प्रकरणों में पूरक अनुदान/विनियोग राशि ₹ 1,10,87.75 करोड़ (कुल व्यय ₹ 9,04,32.05 करोड़ का 12.26 प्रतिशत) अनावश्यक सिद्ध हुआ, जबकि मूल आवंटन के विरूद्ध वर्ष के अन्त में उल्लेखनीय बचतें हुईं। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं :–

(₹ करोड़ में)

अनुदान	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
सी.एच.II	ब्याज अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व(प्रभारित)	*65,18.52*	*4,39.79*	*63,91.32*
सी.एच.I	लोक ऋण	पूंजीगत (प्रभारित)	*80,17.43*	*5.26*	*40,04.64*
03	पुलिस	राजस्व (दत्तमत)	39,77.48	3,06.07	34,27.10
06	वित्त	राजस्व (दत्तमत)	67,87.62	0.71	60,62.94
		पूंजीगत (दत्तमत)	2,38.80	47.54	51.60
07	वाणिज्यिक कर	राजस्व (दत्तमत)	22,52.05	71.20	20,55.95
08	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व (दत्तमत)	10,70.36	17.42	8,35.64
		पूंजीगत (दत्तमत)	52.97	25.00	6.61
10	वन	राजस्व (दत्तमत)	18,55.99	83.14	17,10.98
12	ऊर्जा	राजस्व (प्रभारित)	*1,55.00*	*26.23*	–
		पूंजीगत (दत्तमत)	52,83.30	1,93.93	43,57.79
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व (दत्तमत)	11,07.98	69.78	8,42.82
15	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत)	9,87.26	40.13	7,94.56
		पूंजीगत (दत्तमत)	76.20	5.64	28.38
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व (दत्तमत)	27,10.52	66.55	23,30.83
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व (दत्तमत)	5,23.36	1.60	3,97.69
		पूंजीगत (दत्तमत)	4,66.39	1,55.84	4,00.26
27	स्कूल शिक्षा (प्रांरभिक शिक्षा)	राजस्व (दत्तमत)	54,76.94	89.03	47,93.73
29	विधि एवं विधायी कार्य	राजस्व (दत्तमत)	8,71.75	68.47	6,06.75
		राजस्व (प्रभारित)	*88.17*	*5.24*	*65.75*

अनुदान	नाम	अनुभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व (दत्तमत) पूंजीगत (दत्तमत)	33,48.74 19,91.11	1,19.44 1,31.94	27,83.81 16,02.72
50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व (दत्तमत)	3,01.31	53.29	1,97.48
52	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत) पूंजीगत (दत्तमत)	17,11.27 1,01.75	1,14.85 7.76	14,83.89 40.36
55	महिला एवं बाल विकास	राजस्व (दत्तमत)	27,76.04	66.68	22,50.69
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व (दत्तमत)	1,00.00	1,00.00	19.44
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व (दत्तमत) पूंजीगत (दत्तमत)	22,94.32 19,26.68	1,03.90 2,30.40	18,09.65 16,34.35
75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व (दत्तमत)	50,60.10	6,21.45	47,44.11
77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रांरभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व (दत्तमत)	15,12.05	1,34.17	12,63.43
	योग		**6,96,41.46**	**34,02.45**	**5,69,95.27**

5.4 व्यय का अतिरेक

वर्ष के व्यय का नियमित प्रवाह बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। विशेषतः वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यय वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है (मध्यप्रदेश बजट संहिता की कंडिका 26.13) तथापि, यह ध्यान में आया कि नौ प्रकरणों में मार्च 2014 में किया गया व्यय, वर्ष के दौरान किये गए कुल व्यय के 38 प्रतिशत से 97 प्रतिशत की सीमा के मध्य था जो वित्तीय वर्ष के अंत में बजट प्रावधान प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान का विवरण	कुल बजट प्रावधान	कुल व्यय (निवल)	मार्च में किया गया व्यय	कुल व्यय की तुलना में मार्च में किये गये व्यय की प्रतिशतता
1.	25–खनिज साधन	6,21.22	6,14.66	5,93.43	96.55
2.	26–संस्कृति	1,94.97	1,26.72	58.76	46.37
3.	53–अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2,96.45	1,99.62	75.98	38.06
4.	58–प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	19,09.70	11,42.21	5,91.19	51.76
5.	61–बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	6,08.72	2,17.15	85.90	39.56
6.	63–अल्पसंख्यक कल्याण	72.16	36.36	25.50	70.13
7.	68–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	46.00	32.03	13.62	42.52
8.	70–तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	12.55	5.80	4.69	80.86
9.	76–नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	66.57	43.97	26.26	59.72

अध्याय 6

परिसम्पत्तियां एवं दायित्व

6.1 परिसम्पत्तियाँ

लेखाओं का विद्यमान स्वरूप शासकीय परिसम्पत्ति जैसे भूमि, भवन आदि का जिस वर्ष में क्रय/अर्जन किया गया है, को छोड़कर उचित मूल्यांकन प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार लेखाओं का यह स्वरूप वर्तमान वर्ष में उत्पन्न देयताओं के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ सीमा तक ब्याज की दर एवं विद्यमान ऋणों की अवधि द्वारा प्रदर्शित को छोड़कर भावी पीढ़ी पर समग्र प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं।

2013–14 के अंत तक, सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों और साझेदारियों, बैंकों एवं सहकारिताओं एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 1,52,75[18] करोड़ रहा तथापि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹ 3,79 करोड़ (2.48 प्रतिशत) लाभांश प्राप्त हुआ। 2013–14 के दौरान निवेश में ₹ 6,18 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि लाभांश में ₹ 3,61 करोड़ की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2013 को रिजर्व बैंक के पास (–) 2,63 करोड़ रोकड़ शेष था जो मार्च 2014 के अंत में बढ़कर ₹ 1,73 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का शेष ₹ 4,36 करोड़ से बढ़ गया।

6.2 ऋण तथा दायित्व

भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 में राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा में, यदि कोई, जैसा कि समय–समय पर राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित की गई हों, राज्य सरकार को उधार लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है।

[18] मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच ₹ 10.76 करोड़ आवंटित होना है, की राशि शामिल है।

राज्य सरकार की कुल देनदारियों और लोक ऋण का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	लोक लेखे[19(*)]	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत	कुल देयताएं[19(*)]	जी.एस.डी.पी. का प्रतिशत
2009–10	5,28,41	23	1,50,12	7	6,78,53	30
2010–11	5,77,69	22	1,77,35	7	7,55,04	29
2011–12	6,13,70	20	2,03,87	7	8,17,57	26
2012–13	6,65,77	18	2,35,91	6	9,01,68	24
2013–14	7,21,13	16	2,47,13	5	9,68,26	21

(*) उचन्त एवं प्रेषण शेष छोड़कर

टीप : – वर्ष के अन्त में आंकड़ों का प्रगामी शेष है।

2012–13 की तुलना में 2013–14 में लोक ऋण एवं अन्य दायित्व में ₹ 66,58 करोड़ (7 प्रतिशत) की शुद्ध वृद्धि हुई है।

शासकीय दायित्वों का रूझान

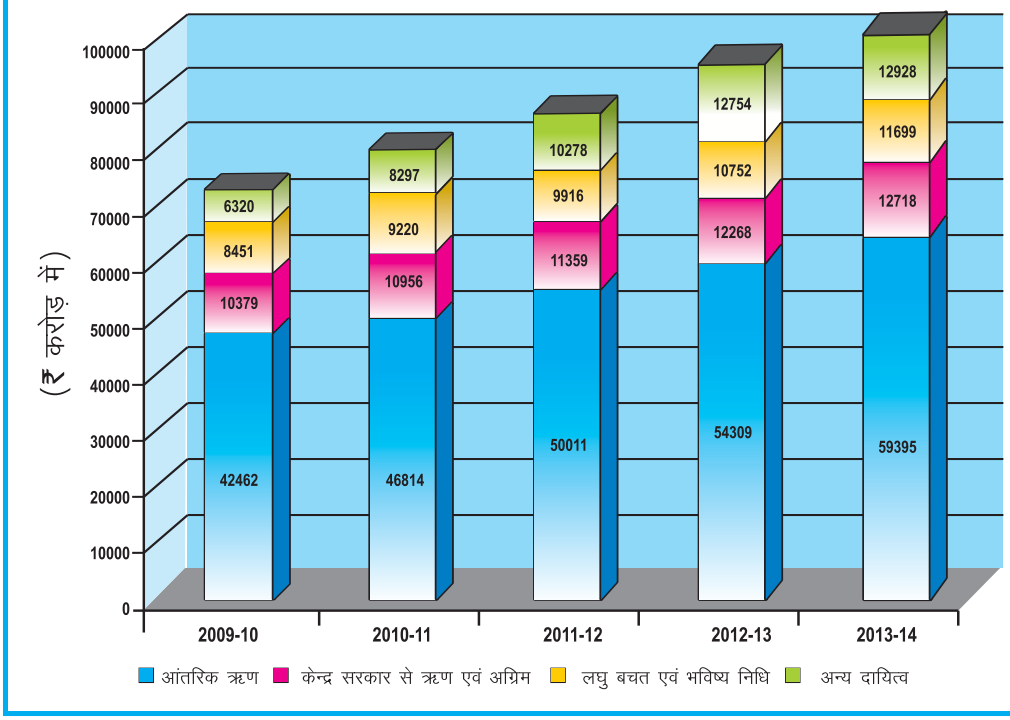

(*) बिना ब्याज मुक्त दायित्व जैसे कि स्थानीय निधियों में जमा, अन्य पृथक–रक्षित निधियां, इत्यादि।

[19] मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच आवंटन नहीं होने से मध्य प्रदेश में ₹ 6,62 करोड़ की राशि रोककर रखी गई है।

6.3 प्रत्याभूतियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि के द्वारा लिये गये पूंजी, ऋण तथा उन पर ब्याज भुगतान के लिये राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान के लिए दी गई प्रत्याभूतियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि (केवल मूलधन)	31 मार्च 2014 को बकाया राशि
		मूलधन एवं ब्याज
2009–10	1,18,23	16,30
2010–11	84,39	51,11
2011–12	1,11,08	56,05
2012–13	1,47,52	77,20
2013–14	2,14,72	99,78

टीप :– विवरण संख्या 9 में विस्तृत विवरण दिया गया है जो राज्य सरकार से प्राप्त एवं संबंधित संस्थानों से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है ।

राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2006 में प्रत्याभूति विमोचन निधि स्थापित की। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा निधि में ₹ 1.00 करोड़ का अंशदान किया गया। 31 मार्च, 2014 को निधि में ₹ 3,89.87 करोड़ शेष बकाया था सम्पूर्ण शेष केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रत्याभूति में निवेशित किया गया।

अध्याय 7

अन्य मदें

7.1 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के अंत तक कुल ₹ 3,20,72[20] करोड़ के ऋण एवं अग्रिम दिए गए। इसमें से राशि ₹ 3,20,44[21] करोड़ के ऋण एवं अग्रिम, शासकीय निगमों/कम्पनियों, अशासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों को दिए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार ने राशि ₹ 50,77 करोड़ के ऋण और अग्रिम वितरित किए तथा राशि ₹ 93 करोड़ के लंबित ऋण वसूल किए। वर्ष के दौरान ₹ 12 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुए।

7.2 स्थानीय निकायों एवं अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पांच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान वर्ष 2009–10 में ₹ 80,88 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 2,09,05 करोड़ हुआ। वर्ष के दौरान शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 1,35,43 करोड़ अनुदान दिया गया जो कि कुल अनुदान का 65 प्रतिशत है।

विगत पांच वर्षों के सहायक अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शहरी स्थानीय निकाय	पंचायती राज संस्थान	अन्य	योग
2009–10	4,29	..	76,59	80,88
2010–11	37,58	..	1,11,29	1,48,87
2011–12	42,42	54,13	64,89	1,61,44
2012–13	51,74	69,00	66,14	1,86,88
2013–14	67,48	67,95	73,62	2,09,05

[20] मध्य प्रदेश राज्य में रोके गये ₹ 21,86 करोड़ शामिल है जिनका पुनर्मिलान किया जाना है।

[21] मध्य प्रदेश राज्य में रोके गये ₹ 21,19 करोड़ शामिल है जिनका पुनर्मिलान किया जाना है।

7.3 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल, 2013 को	31 मार्च, 2014 को	निवल वृद्धि (+)/कमी (–)
रोकड़ शेष	(–) 2,63	1,73	4,36
रोकड़ शेष से विनियोग (भारत सरकार के कोषालय देयक एवं प्रतिभूति)	68,06	38,99	(–) 29,07
उद्धिष्ट निधियों के शेषों से विनियोग	3,98	4,01	3
(क) निक्षेप निधि	–	–	–
(ख) प्रतिभूति विमोचन निधि	3,89	3,92	3
(ग) अन्य निधियां	9	9	..
(घ) वसूल ब्याज	2,48	2,41	(–) 0,07

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष के विनियोग पर ब्याज की वसूली में वर्ष 2012–13 की तुलना में 3 प्रतिशत की कमी हुई।

7.4 लेखों का पुनर्मिलान

लेखाओं की शुद्धता तथा विश्वसनीयता अन्य बातों के साथ–साथ समय पर विभागीय आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित लेखाओं के आंकड़ों के मिलान पर निर्भर है। यह कार्य संबंधित विभागाध्यक्षों के द्वारा संपादित किया जाता है। 2013–14 में राज्य सरकार के कुल व्यय ₹ 8,57,62.16 करोड़ के 41 प्रतिशत (राशि ₹ 3,52,16.12 करोड़) का मिलान किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्ति ₹ 7,58,80.88 करोड़ के विरूद्ध केवल 31 प्रतिशत (₹ 2,31,58.46 करोड़) का मिलान किया गया।

विभिन्न विभागों के बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा लेखाओं के पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दी गई है :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट नियंत्रक अधिकारियों की कुल संख्या	पूर्ण पुनर्मिलान किया गया	आंशिक पुनर्मिलान किया गया	पुनर्मिलान नहीं किया
व्यय	117	42	62	13
प्राप्तियां	117	01	05	111

7.5 कोषालयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

वर्ष 2013–14 के दौरान 667 मासिक लेखों में से 19 लेखे नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त हुये, यद्यपि यह लेखे संबंधित माह के मासिक सिविल लेखों में सम्मिलित किये गए। कोषालयों द्वारा नियत समय पर लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाना चाहिये। विवरण निम्नानुसार है :–

कोषालय लेखे

माह	देय लेखों की संख्या	नियत तिथि पर प्राप्त लेखों की संख्या	नियत तिथि के उपरांत प्राप्त हुये लेखों की संख्या	सम्मिलित लेखों की संख्या	सम्मिलित नहीं किये गये लेखों की संख्या	दिनांक जिस दिन राज्य सरकार को लेखे प्रस्तुत किये गये
04/2013	55	54	01	55	–	23.05.13
05/2013	55	54	01	55	–	25.06.13
06/2013	55	53	02	55	–	24.07.13
07/2013	55	52	03	55	–	23.08.13
08/2013	55	53	02	55	–	24.09.13
09/2013	56	55	01	56	–	24.10.13
10/2013	56	55	01	56	–	22.11.13
11/2013	56	53	03	56	–	23.12.13
12/2013	56	56	–	56	–	24.01.14
01/2014	56	53	03	56	–	25.02.14
02/2014	56	54	02	56	–	25.03.14
03/2014	56	56	–	56	–	09.05.14
योग।	**667**	**648**	**19**	**667**	–	–

7.6 अधिसंख्य सार आकस्मिक देयकों की स्थिति

जब धनराशि की अग्रिम आवश्यकता होती है अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी आवश्यक धनराशि की गणना करने में असमर्थ होता है, उसे बिना सहायक अभिलेख के सार आकस्मिकता देयकों के माध्यम से धनराशि आहरित करने की अनुमति होती है। ऐसे सार आकस्मिक देयकों का निपटारा विस्तृत आकस्मिकता देयकों के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से आगामी माह की 25 तारीख से पूर्व करना होता है। राज्य शासन ने दिनांक 2 सितम्बर 1999 को जारी आदेश के द्वारा सार आकस्मिक देयकों के माध्यम से धन आहरण पर खेल एवं युवक कल्याण विभाग को छोड़कर, सभी विभागों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उक्त विभाग को मात्र राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) से संबंधित गतिविधियों के संबंध में व्यय करने हेतु इस प्रकार का आहरण करने की अनुमति दी गई है। मार्च, 2014 के अंत में ₹ 14.96 करोड़ के 599 विस्तृत आकस्मिकता देयक लम्बित थे।

7.7 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र

सशर्त अनुदानों के प्रकरण में संस्वीकृति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय दृष्टिकोण से अनुदानों के उचित उपयोग के बारे में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उस वर्ष जिससे अनुदान संबंधित है, के आगामी वर्ष की 30 सितम्बर या उससे पहले मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 182 के अनुसार प्रेषित किये जाने चाहिये। मार्च 2014 के अंत तक राशि ₹ 2,73,73 करोड़ के 3,64,14 उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया थे। निर्धारित समयावधि के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र बकाया रहना निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये अनुदान के उपयोग की वचनबद्धता के अभाव को दर्शाता है।